



2026:AHC:32298

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2186/2026

सौरभ सक्सेना

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार द्विवेदी, राज कुमार मिश्र

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अपर महाधिवक्ता, वेद मणि तिवारी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार द्विवेदी और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद मणि तिवारी को सुना।
2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिकाकर्ता रेलवे में तकनीशियन विद्युत के पद पर कार्यरत हैं; अतः, प्रस्तुत रिट याचिका में मांगी गई राहत को देखते हुए, उसे सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष ही जाना चाहिए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ : एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 1125 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
5. तदनुसार, इसमें हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है, और रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है; साथ ही, रिट याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(V) के तहत मूल आवेदन दायर करते हुए, इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकरण से संपर्क कर सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"